लोक निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

खण्ड का नाम :– प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल.

मार्ग का नाम :– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली खमारी थापला जलालगॉव से देचोरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

लम्बाई 7.00 किमी0

वन भूमि का विवरण

वन प्रभाग का नाम

आरक्षित भूमि

नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल – 3.150 हे0
रामनगर वन प्रभाग रामनगर – 1.170 हे0

4.320 हे0

वन पंचायत भूमि

नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल – 0.360 हे0
रामनगर वन प्रभाग रामनगर – 0.765 हे0

1.125 हे0

कुल वन भूमि 5.445 हे0

विषय सूची

क0सं0	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या
1	प्रतिवेदन	1
2	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	2-3
3	भारत सरकार के प्रपत्र	4-11
4	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	12&12A
5	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	13-14
6	प्रभावित वृक्षों की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची	15-~~20~~17
7	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र	~~21~~ 18
8	राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	~~22-23~~ 19-20
9	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र	~~24&ABCDE~~ 21
10	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना	22-24A
11	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र	25
12	परियोजना का बार चार्ट, वन अधिकार अधिनियम 2006	26&26A
13	रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण–पत्र	27
14	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र	--
15	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र / [illegible] / [illegible] का प्रमाण पत्र।	28,28A&B
16	आम सभा का प्रमाण–पत्र	29-30
17	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण–पत्र	31
18	वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र	32
19	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र	33
20	भू–वैज्ञानिक की आख्या	34-37
21	भू–वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र	38
22	टास्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र	39
23	वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र	40
24	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र	41
25	धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र	42
26	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	43
27	दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र	44
28	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	45
29	वन भूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र	46
30	एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र	47-49
31	लागत लाभ विशलेषण प्रमाण–पत्र	--
32	प्रस्तावित स्थल, स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र	50
33	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना	51&52
34	मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण–पत्र	53-54
35	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण–पत्र	55
36	~~लीज अवधि का प्रमाण–पत्र~~ (विस्फोटकों का प्रयोग न किये जाने का प्रमाण पत्र)	56
37	~~जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान~~ [illegible] का प्रमाण पत्र)	57
38	प्रस्तावित परियोजना का लेआऊट प्लान एवं मदवार विवरण	--
39	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण–पत्र	58
40	परियोजना से सम्बंन्धित अन्य सूचनायें	~~58~~

SITE INSPACTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from E.E. Provincial Division P.W.D Nainital ---------for diversion under FCA-1980) of 5.445 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of Mongoli Khamari Phalda Talalgaon to Dechari Motor Road.
---------The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-
----

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 5.445 ----ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of.-

Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place:- ... ...
Date ... ...

Name ... ...
Designation ... ...
Office Seal प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल/सोयम वन प्रभाग, रानीखेत

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

(4)

फैक्ट् सीट

1. परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली खमारी थापला जलालगॉव से देचौरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण

2. प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति अनुसार क्षेत्रफल

आरक्षित वन भूमि	–	
रामनगर वन प्रभाग रामनगर	–	
आरक्षित वन भूमि	– 1.170	
सिविल सोयम वन भूमि	– –	
वन पंचायत भूमि	– 0.765	
योग	–1.935 हे0	1.935 हे0
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल	–	
आरक्षित वन भूमि	– 3.150	
सिविल सोयम वन भूमि	– –	
वन पंचायत भूमि	– 0.360	
योग	–3.510 हे0	3.510 हे0
निजि भूमि	–	0.855
		6.300 हे0

3. प्रस्तावक विभाग का नाम – प्रान्तीय खण्ड ,लो0नि0वि0, नैनीताल

4. वन प्रभाग का नाम – नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल / रामनगर वन प्रभाग रामनगर

5. प्रस्ताव बाइडिंग किया गया है – हॉ / नहीं

6. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है – हॉ / नहीं

7. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है – हॉ / नहीं

8. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है – हॉ / नहीं

9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है – हॉ / नहीं

10. प्रभावित होने वाले वृक्षो की सूची व

(5)

11. वांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न हैं – हॉ/नहीं

12. प्रभावित होने वाले वृक्षो की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हे कम करने का क्या प्रयास किया गया हैं – हॉ/नहीं

13. समरेखण में आने वाले वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न हैं– हॉ/नहीं

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही हैं– हॉ/नहीं

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न हैं – हॉ/नहीं

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हैं– हॉ/नहीं

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न हैं हॉ/नहीं

18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं हॉ/नहीं

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है–

(यदि हॉ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण–पत्र संलग्न हैं) हॉ/नहीं

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया हैं हॉ/नहीं

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व से निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना हैं–

(यदि पूर्व से निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) नहीं

22. क्या मानचित्र से प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–अलग रंगों से भरा गया है–

हॉ/नहीं

23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया हैं– हॉ/नहीं

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ हैं

हॉ / नहीं

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्व की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। —नहीं

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाओं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं— हॉ / नहीं

27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का करण (एक विस्तृत नोअ संलग्न किया जाय)

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत हैं— हॉ / नहीं

(500 हैं0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) —आवश्यकता नहीं

29. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता हैं हॉ / नहीं

30. मलुवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है हॉ / नहीं

अथवा

मलुवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र संलग्न हैं हॉ / नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तो का प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में सलग्न है

हॉ / नहीं

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण—पत्रों की फोटो प्रतियॉ मूल में संलग्न है हॉ / नहीं

यदि छाया प्रतियॉ संलगन की गई हैं तो सत्यापित हैं हॉ / नहीं

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण—पत्र संलग्न हैं—

हॉ / नहीं

34. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न हैं हॉ / नहीं

35. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न हैं हॉ/नहीं

प्रमाणित किया जात हे कि प्रस्ताव उक्त पैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण–पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गयी हैं।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
			प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
			नैनीताल

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली खमारी थापला जलालगाँव देचौरी मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली खमारी थापला जलालगाँव देचौरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 883/।।। (2)/08–66 (एम0एल0ए0)/07 दि0 28.03.08 द्वारा 7.00 कि0मी0 लम्बाई तथा रु0 245.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके कम में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कराया जाना है ।

यह मार्ग जलालगाँव के अन्त से प्रारम्भ होकर ग्राम सभा रोखड़ तक 7.00 किमी0 ल0 में जाता है । यह मार्ग पूर्ण लम्बाई में वन भूमि तथा नाप भूमि से होकर गुजरता है ।

इस मार्ग के निर्माण से ग्राम रोखड़ की आबादी लाभान्वित होंगी। साथ ही इस मार्ग के निर्माण से जलालगाँव से देचौरी तक की दूरी 30.00 कि0मी0 से घटकर केवल 25.00 कि0मी0 रह जाएगी।

अतः उपरोक्त मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल

संख्या–883/ III (2)/08–55(एम0एल0ए0)/200

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2008

विषय– वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य योजना के अन्तर्गत 07 कार्यों के निर्माण की प्रशासकीय वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर–2 लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा के द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये 07 कार्यों के आगणन लागत रू0 629.16 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 629.16 लाख (रूपये छः करोड़ उन्तीस लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणनों की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम–06 में अंकित रू0 0.05 लाख विवरणानुसार कुल रू0 0.35 लाख (रूपये पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

सामग्री का प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही कि

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य वि धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही ध उक्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अ आदेश शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने स्वीकृत/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणन की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक–31.03.2008 तक उ हेतु कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलि राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण /मासिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो

16. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय व्ययक मे लोक निर्मा 22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला 800–अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर –02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के

17. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–389/XXVII(2)/ .4, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: 07 कार्यों की सूची।

(प्रदीप सि
उप स

संख्या– (1)/III–2/08,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमाऊ मण्डल नैनीताल ।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी नैनीताल।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 लो.नि.वि., अल्मोडा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वां वृत्त,लो0नि0वि0,नैनीताल ।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रा
उप सचिव

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लोक निर्माण विभाग देहरादून

पत्रांक–389/20 भाग (क)/08 दि0– 29/3/08

प्रति– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

1. मुख्य अभियन्ता कुमायूं क्षेत्र लो0नि0वि0, अल्मोड़ा ।

शासनादेश संख्या–883/ III(2)/08–66 (एम.एल.ए.)/07 दिनांक 29 मार्च,2008 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु० में)

क्र.सं.	कार्य के नाम	लम्बाई	लागत	वित्त विभाग द्वारा आंकलित धनराशि	[illegible] वर्ष 2007 में [illegible]
	2	3	4	5	
1	लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह ज्योलीकोट से वलुवाखाल मार्ग में सी0सी0 का कार्य।	0.800	16.00	16.00	0.05
2	जनपद नैनीताल में बजून फगुनियाखेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.00	140.00	140.00	0.05
3	मंगोली खमारी थापला जलालगांव देचौरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.00	245.00	245.00	0.05
4	जनपद नैनीताल में हरीनगर वन्दादेवी मार्ग के किमी0 3.00 में खरालागाड में 36 मी0 स्पान का लौह पुल का निर्माण कार्य।	36 मी0	107.56	107.56	0.05
5	जनपद नैनीताल में जगलियागांव सलुवाताल मोटर मार्ग का विस्तार ।	1.00	35.00	35.00	0.05
6	मूसावगर वजुनियाहल्दु से फारेस्ट गेट तक मार्ग का निर्माण कार्य ।	1.20	33.60	33.60	0.05
7	मूसावगर–तुपानवाड़–पतलिया मार्ग के किमी02 से हथानवाड़ मार्ग का निर्माण पुलिया सहित ।	1.30 +6मी0 स्पान	52.00	52.00	0.05
	कुल योगः–		629.16	629.16	

(रु0 पैंतीस हजार ...)

(प्रदीप सिंह ...)
उप सचिव

Photocopy Attested
AE (B)

अधीक्षण अभियन्ता
द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल